

प्रति,

एन. सिटी सेक्टर, लखनऊ,

निवास - लखनऊ, बिहार, जनपद औरंगा, उ.प्र.

मोबाइल - 7302757448

सेवा में,

महासचिव राज्यपाल जी,

उच्च-प्रदेश शासन,

राज-भवन, लखनऊ, उ.प्र.

द्वारा - माध्यम - ई-मेल पर से प्रेषित

विषय - भारतीय संविधान और उ.प्र. सरकारी कर्मचारी को आपराधिक निष्ठावली-1956 के अन्वय में

विषय-संक्षेप-पत्र

साहब,

कृपया संलग्नक संख्या-पत्रों में उल्लिखित विषय और संख्या (मोबाइल-से-सेवा से भविष्य-अनु-लक्षण-बोर्ड) का अवलोकन कर सामने का संज्ञान ग्रहण करें। निम्नलिखित जिले के निवासियों, मुख्य विकास अधिकारी, अपर निवासियों और पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक औरंगा से निजी-संश्लेष, कर्मचारियों की **अभिप्राय** ग्रहण कर भारतीय-संविधान और उ.प्र. राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आपराधिक निष्ठावली-1956 में विहित धाराओं की व्यवस्था अवलोकन की है। और दलील-संग्रह से मोबाइल से किया है।

साहब, भारतीय संविधान की धारा-154-इसके अंतर्गत राज्यपाल की शक्ति सीमा में निहित है और उ.प्र. के अधीनस्थ अधिकारियों के कार्य सीमा में भी निहित है। तथा उ.प्र. सरकारी कर्मचारियों को आपराधिक (मोबाइल)-निष्ठावली-1956 में अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य करने के तरीके निर्दिष्ट हैं। इसके बावजूद प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारी संघर्ष, दलों की संस्थाओं की उपेक्षा करने वाले-मोबाइल-इसके अंतर्गत चक्राकार करते रहे हैं और इनके व्यवहार से अस्तिता कार्य को आपराधिक देकर तथा कूर-रिपट (फर्निचर) प्रणाली को अस्तिता कर व्यक्तिगत लाभ उठाने में लगे हैं।

मोबाइल, संलग्नक प्रण-विषय-लक्षण में उल्लिखित संकेत में निम्न व्यक्तियों को आपराधिक रूप से निष्ठा-प्रशासनिक मोबाइल द्वारा मोबाइल से किया गया है, वह उ.प्र. सरकार अ.सं. 0662/2018 सरकार बनाम राज्यपाल मोबाइल-विषय-पत्र में निहित है और उनके पुत्र पत्राचार आदि हैं, जो निष्ठा-पत्र आदि तमो-सम्पत्ति (पट्टी-पट्टी निष्ठा-पत्र, साम-सम्पत्ति) आपराधिक रिपोर्ट होने के बावजूद विषय-संक्षेप-पत्र-1973 के अंतर्गत उच्च न्यायाधीश के नाम पर शीर्षक मोबाइल विषय-पत्र में उल्लिखित हैं और फर्निचर आदि धर्म-सम्पत्ति

अतः आपसे अपेक्षा है कि संलग्नक प्रण में उल्लिखित व्यवस्था के अन्वय में, कर्मचारियों के कार्य-सम्पत्ति से भारतीय संविधान और उ.प्र. सरकारी कर्मचारियों को आपराधिक निष्ठावली-1956 के अन्वय में अवलोकन करने का संज्ञान ग्रहण कर मोबाइल से निम्नलिखित जिले के निवासियों, मुख्य विकास अधिकारी, अपर निवासियों और पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक औरंगा से निजी-संश्लेष, कर्मचारियों की **अभिप्राय** ग्रहण कर भारतीय-संविधान और उ.प्र. राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आपराधिक निष्ठावली-1956 में विहित धाराओं की व्यवस्था अवलोकन की है। और दलील-संग्रह से मोबाइल से किया है।

आपका स्नेह

दिनांक - 28-01-2021

संलग्नक - दि. 18-1-2021 & दि. 19-1-2021 के उल्लिखित लक्षण-विषय-पत्रों की

मोबाइल-से-सेवा से भविष्य-अनु-लक्षण-बोर्ड (एन. सिटी सेक्टर) लखनऊ, बिहार, जनपद औरंगा, उ.प्र.





श्रीयुत् पूज्य बाबूजी के श्री चरणों में समर्पित

जिसने स्वानुभूति के मन पर दश सहे होते हैं, वे भामाशाहों के सच्चे अंश रहे होते हैं।  
 परपीड़ा का शमन जिन्हें जिम्मेदारी लगता है, पक्ष सत्य का रखना जिनको खुदारी लगता है।  
 शिक्षा-सेवा में जो जन सर्वस्व निष्ठावर कर दें, पर सेवा में एकनिष्ठ जो धरती अम्बर कर दें।  
 'ऊषा' का सानिध्य, ज्योति का उनमें बल होता है, मर्यादा का और पराक्रम का सम्बल होता है।  
 सारे जग में सहज प्रतिष्ठा वंत वही होते हैं, 'श्रीयुत् रामशंकर जी' जैसे संत वही होते हैं।  
 ऐसे पुरखों की स्मृति को सब सलाम करते हैं, पूजनीय 'बाबू जी' को हम सब प्रणाम करते हैं।

शब्दाहुति-अजय शुक्ल अंजाम



मुख्य अतिथि  
श्री सुनील कुमार वर्मा  
जिलाधिकारी  
श्री अशोक बाबू मिश्रा  
मुख्य विकास अधिकारी

✓ विशिष्ट अतिरिक्त  
एम.पी. सिंह  
अपर जिलाधिकारी (न)  
✓ श्री शिष्य पा  
अपर पुलिस अधी

स्थान  
विवेकानन्द ग्रामोद्योग महाविद्यालय  
दिबियापुर-औरैया

**ब्रह्मलीन रामशंकर गुप्ता**  
(संस्थापक-संबंधक) मुंबई - म.प्र.  
३१०

(संस्थापक-प्रबंधक)

विवेकानन्द ग्रामोद्योग महाविद्यालय, दिबियापुर, आर्या

निर्वा

18/01/2018

की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धाजंलि सभा

की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन एवं उद्घाटन

परमपूज्य बापू जी का जीवन सदैव समाज एवं शिक्षा जगत के लिए समर्पित रहा। समाज को सही दिशा देने के साथ ही हमें सदैव ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं निरंतर चलते रहने की प्रेरणा दी। जीवन के उतार-चढ़ाव में खट्टे मीठे अनुभव में भी डिगने नहीं दिया और सन्मार्ग पर चलने का सदैव आशीर्वाद दिया। गोलो प माताजी की पूजा तपस्या ने हम सबको काबिल बनाया तो बाबूजी के आशीर्वाद ने स्वाभिमान व पहचान दिलाई। जीवन में सब कुछ अपने में समेट कर आसमान की पूज्य पिताजी को शतशत नमन कर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और शपथ लेता हूँ कि जीवन में पथ पर सदैव बाबूजी के दिखाए सन्मार्ग पर ही चलता रहूंगा। आज हम सबको खलती है आप हमसे एक तरह दूर है लेकिन आपका एहसास हर पल होता है। वह सुबह की जल्दी आपका उठना व डांट फटकार सब कुछ याद है। आपके कार्यवाहक कार्यों के बोध को मैं नहीं भूला हूँ। आपके बिना हम सबमें सदैव विद्यमान रहेंगे। एक दिव्य प्रकाश था हमारे कर्मयोगी बाबूजी में जिनके द्वारा



पंचायत निर्वाचन सूची 2020-21 में भारी गड़बड़ी कर रहे हैं।

निकल आई और रास्ता भटक गई। बच्चियों की तलाश में स्वजन इधर-उधर भटक रहे थे। कुदरकोट चौकी

सुबह कुदरकोट पुलिस चौकी पर बुलाया और दोनों ही बच्चियों को उनके सुपुर्द कर दिया।

**नैक काम** शिक्षाविद रामशंकर गुप्त की पुण्यतिथि पर वितरित किया गए केमल

## गरीब की सेवा ही सबसे पुनीत कार्य -डीएम

संवादसूत्र, दिव्यापुर (औरैया): विवेकानंद ग्रामोद्योग महाविद्यालय के संस्थापक व गांधी विचारक शिक्षाविद स्व. रामशंकर गुप्त उर्फ बाबू जी की प्रथम पुण्यतिथि पर जरूरतमंदों को निःशुल्क कंबल वितरित किया गया। सोमवार को महाविद्यालय में हुए आयोजन में कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. विनीत त्रिपाठी ने रामशंकर गुप्त की कृतित्व व व्यक्तित्व के बारे में बताया। इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई।



केमल वितरित करते डीएम सुनील कुमार वर्मा (बीच में), एसपी अर्पणा गौतम (बाएं से दूसरी) सीडीओ अशोक बाबू मिश्रा (बाएं) व साथ में प्रबोधक राजेश गुप्ता • जागरण



कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य नागरिक व पीछे पंक्ति में बैठे लोग • जागरण

अशोक बाबू मिश्रा ने कहा कि गांधी विचारक सादगी पूर्ण होते हैं। उन्होंने गांधी दर्शन और पश्चिमी सभ्यता पर तुलना कर जानकारी दी। कहा कि बाबू जी के जीवन वृत्त सादगी से भरा पड़ा है। इससे पूर्व सभी अतिथियों का माल्यापण कर व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। प्राचार्य डॉ. इफ्तिखार हसन ने कॉलेज के बारे में जानकारी दी। प्रबोधक राजेश गुप्ता ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सुरेश मिश्रा,

सुनील गुप्ता, पवन गुप्ता, शिवप्रताप सिंह, आशीष सविता, अमित चौबे, राजेश उर्फ मुन्ना शुक्ला, प्रो. इकरार अहमद, डॉ. राकेश तिवारी, डॉ. संदीप ओमर, डॉ. ममता शुक्ला, श्रीमती मधु गुप्ता, भावना गुप्ता, शुभ गुप्ता, रुद्र गुप्ता, महेश पांडेय, प्रशांत तिवारी, रेंडू गुप्ता, सौरभ गुप्ता आदि स्टाफ व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करणशंकर तिवारी ने की और संचालन अजय शुक्ला ने किया।

दिनांक तथा समय	अपराह्न 1:00 से अपराह्न 1:30 बजे तक	अपराह्न 2:30 से अपराह्न 3:00 बजे तक
18-01-2021 सोमवार	मिश्रण शक्ति महिला सशक्तिकरण आत्मरक्षा प्रशिक्षण भाग-2	सामाजिक विज्ञान अध्याय-7 लोकतंत्र के परिणाम भाग-2
19-01-2021 मंगलवार	मिश्रण शक्ति महिला सशक्तिकरण आत्मरक्षा प्रशिक्षण भाग-3	अंग्रेजी अध्याय-4 Socrates भाग-1
21-01-2021 बुधवार	मिश्रण शक्ति महिला सशक्तिकरण आत्मरक्षा प्रशिक्षण भाग-4	गणित अध्याय-14 सांख्यिकी भाग-1
22-01-2021 शुक्रवार	हिन्दी अध्याय-4 मेवाड़ मुकुट भाग-1	गणित अध्याय-14 सांख्यिकी भाग-2

नोट : DD-UP, अब आप इन चैनलों पर भी बिग टीवी-250, एयरटेल-4

चैनल e vidya-9 पर कक्षा-9 एवं चैनल

दिनांक तथा समय	कक्षा
18-01-2021 सोमवार	प्रातः 8:30 से प्रातः 9:00 बजे तक अंग्रेजी अध्याय-3 Primary Auxiliaries (Words and Expressions-1 Workbook) भाग-1/2
19-01-2021 मंगलवार	सामाजिक विज्ञान अध्याय-5-खण्ड-2 आधुनिक विश्व में घरवाहे (इतिहास-भारत और समकालीन विश्व) भाग-1/2
21-01-2021 बुधवार	अंग्रेजी अध्याय-3 Primary Auxiliaries (Words and Expressions-1 Workbook) भाग-2/2
22-01-2021 शुक्रवार	सामाजिक विज्ञान अध्याय-5-खण्ड-2 आधुनिक विश्व में घरवाहे (इतिहास-भारत और समकालीन विश्व) भाग-2/2

नोट: e vidya-9, जियो टीवी एप, डिश टीवी चैनल-950, e vidya-11, जियो टीवी

माध्यमिक



## PART VI THE STATES <sup>1</sup>[\*\*\*]

### CHAPTER I GENERAL

**152. Definition.**—In this Part, unless the context otherwise requires, the expression "State" <sup>2</sup>[does not include the State of Jammu and Kashmir].

### CHAPTER II THE EXECUTIVE

#### *The Governor*

**153. Governors of States.**—There shall be a Governor for each State :

<sup>3</sup>[Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two or more States].

**154. Executive power of State.**—(1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.

(2) Nothing in this article shall—

(a) be deemed to transfer to the Governor any functions conferred by any existing law on any other authority; or

(b) prevent Parliament or the Legislature of the State from conferring by law functions on any authority subordinate to the Governor.

**155. Appointment of Governor.**—The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

**156. Term of office of Governor.**—(1) The Governor shall hold office during the pleasure of the President.

(2) The Governor may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office.

(3) Subject to the foregoing provisions of this article, a Governor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office :

1. The words "IN PART A OF THE FIRST SCHEDULE" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, section 29 and Sch.

2. Subs. by section 29 and Sch., *ibid.*, for "means a State specified in Part A of the First Schedule".

3. Added by section 6, *ibid.*

## भाग 6

### <sup>1</sup>[\*\*\*] राज्य

#### अध्याय 1

#### साधारण

**152. परिभाषा**—इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" पद <sup>2</sup>[के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है]।

#### अध्याय 2

#### कार्यपालिका

#### *राज्यपाल*

**153. राज्यों के राज्यपाल**—प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा :

<sup>3</sup>[परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से विचारित नहीं करेगी।]

**154. राज्य की कार्यपालिका शक्ति**—(1) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात—

(क) किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अन्तर्गत करने वाली नहीं समझी जाएगी; या

(ख) राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधान-मण्डल को विचारित नहीं करेगी।

**155. राज्यपाल की नियुक्ति**—राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा।

**156. राज्यपाल की पदवधि**—(1) राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।

(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

1. संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "पहली अनुसूची के भाग क में के" शब्दों का लोप किया गया।

2. संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "क अर्थात् प्रथम अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्य है" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 6 द्वारा जोड़ा गया।



associated college shall except with the previous approval of the <sup>1</sup>[State Government], be authorised to impart instruction for post-graduate degrees:

Provided that if an associated college is refused recognition for imparting instruction for post-graduate degrees, such college may, with the approval of the <sup>1</sup>[State Government], be granted affiliation by any University referred to in Section 37, anything in Section 5 notwithstanding, and thereupon, such college shall cease to be an associated college.

(5) Except as provided by this Act, the Management of an associated college shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep. The Principal of every such college shall be responsible for the discipline of its students and for the superintendence and control over its staff.

(6) The Executive Council shall cause every associated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding three years by one or more persons authorised by it in this behalf and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.

(7) The recognition of an associated college may, with the previous sanction of the <sup>1</sup>[State Government], be withdrawn by the Executive Council, if it is satisfied after considering any explanation furnished by the management, that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists in making default in the performance of its duties under this Act or in the removal of any defect in its work pointed out by the Executive Council.

<sup>2</sup>[(8) Notwithstanding anything in this section or in Section 5, any associated college situated within the area of any University to which this section applies, may, subject to such directions, as may be issued by the State Government in this behalf, be admitted to the privileges of affiliation by any University to which Section 37 applies.]

**39. Disqualification for membership of Management.**—A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of the Management of an affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government or by local authority), if he or his relative accepts any remuneration for any work in or for such college or any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for such college:

Provided that nothing in this section shall apply to the acceptance of any remuneration by a teacher as such or for any duties performed in connection with an examination conducted by the college or for any duties as Superintendent or Warden of a training unit or of a hall or hostel of the college or as a proctor or tutor or for any duties, of a similar nature in relation to the college.

1. Subs. by U.P. Ordinance No. 5 of 2007, Published in U.P. Gazette Extra Part 2 Section (Ka) dated 2nd June, 2007.

2. Subs. by U.P. Act 19 of 1987.

*Explanation.*—The the Explanation to Se

**40. Inspection,** Government shall be person or persons including buildings, examinations, teaching inquiry to be made in and finances of such

(2) Where the State be made under sub-representative appo to appoint a represent inspection or inquiry Management but not the college at such in

(3) The person or shall have all the pow the Civil Procedure, enforcing the attend and material objects, of Sections 480 and proceedings before within the meaning of

(4) The State Gov of such inspection or and the Management

(5) The State Gov communication made

(6) The State Gov the Management or with such inspection

**41. Constituent** named by the Statute

(2) The Principal discipline of the stud over the ministerial such other powers as

**42. Autonomous** prescribed, to an affi prescribed in that bel

1. Now CrPC, 1973 (2)



# उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण-नियमावली, 1956

(राजाज्ञा स० - 957 / कार्मिक- 1/1998 लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर,  
1998 द्वारा संशोधित)

नियुक्त (B) विभाग

विविध

संख्या- 2367/118-BII-54 दिनांक : 21 जुलाई, 1956

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के कार्यों से सम्बद्ध सेवा में लगे सरकारी कर्मचारियों के आचरण को विनियमन करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं:

## उ० प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 (यथा संशोधित)

**1-संक्षिप्त नाम-**ये नियम "उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956" कहलावेगी।

**2-परिभाषाएँ-**जब तक प्रसंग से कोई अन्य अर्थ न हो, इन नियमों में-

(क) "सरकार" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(ख) "सरकारी कर्मचारी" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो उत्तर प्रदेश के कार्यों से सम्बद्ध लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हो।

**स्पष्टीकरण-**इस बात के होते हुये भी कि उस सरकारी कर्मचारी को वेतन उत्तर प्रदेश की संचित निधि के अतिरिक्त साधनों से लिया जाता है, ऐसा सरकारी कर्मचारी भी, जिसकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी कम्पनी, निगम, संगठन, स्थानीय प्राधिकारी, इन नियमों के प्रयोजनों के लिये सरकारी कर्मचारी समझा जायेगा।

(ग) किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में, "परिवार का सदस्य" के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे :-

(i) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी उसका पुत्र, सौतेला पुत्र, अविवाहित पुत्री या अविवाहित सौतेली पुत्री चाहे वह उसके साथ रहती/रहता हो अथवा नहीं, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में, उसके साथ रहने या न रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, पुत्र, सौतेला पुत्र, अविवाहिता पुत्रियाँ या अविवाहित सौतेली पुत्रियाँ, तथा :

(ii) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो उक्त सम्बन्ध से या विवाह द्वारा, उक्त सरकारी कर्मचारी का सम्बन्धी हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बन्धी हो, और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नहीं होगी/सम्मिलित नहीं होगा, जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथक् की गई हो/पृथक् किया गया हो या ऐसा पुत्र, सौतेला किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा, वंचित कर दिया गया हो।

**3. सामान्य-**(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी समयों में, परम सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्य पुरायणता से कार्य करता रहेगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी समयों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत्त विशिष्ट या ध्वनित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा।



**स्पष्टीकरण-1** इस नियम के प्रयोजन के लिये, आश्रित से तात्पर्य किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी, बच्चों तथा सौतले बच्चों और बच्चों से है और इसके अन्तर्गत उसके जनक बहिने, भाई, भाई की पत्नी, बच्चों तथा सौतले बच्चों और बच्चों से है और इसके साथ निवास करते हों और उस पर पूर्णतः आश्रित हों।

**स्पष्टीकरण-2** इस नियम के प्रयोजन के लिये, समुचित प्राधिकारी वही होगा, जैसा कि नीचे दिया गया :-

विभागाध्यक्ष, या मण्डलायुक्त या कलेक्टर के लिये ..... राज्य सरकार  
जिला जज के लिये ..... उच्च न्यायालय का प्रशासकीय जज  
अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिये ..... सम्बन्धित विभागाध्यक्ष

**19. किसी सम्बन्धी, रिश्तेदार के विषय में कार्यवाही**—(1) जब कोई सरकारी कर्मचारी, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में जो उसका सम्बन्धी हो, चाहे वह सम्बन्ध दूर का या निकट का हो, को प्रस्ताव या मत प्रस्तुत करता है या कोई अन्य कार्यवाही करता है, चाहे वह प्रस्ताव, मत कार्यवाही उस सम्बन्धी के पक्ष में हो अथवा उसके विरुद्ध हो, तो वह प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव, मत या कार्यवाही के साथ यह बात भी स्पष्ट रूप से बता देगा कि वह व्यक्ति विशेष उसका सम्बन्धी है, अथवा नहीं और यदि वह उसका ऐसा सम्बन्धी है, तो इस सम्बन्ध का स्वरूप क्या है ?

(2) जब किसी प्रवृत्त विधि, नियम या आदेश के अनुसार, कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रस्ताव या किसी अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय करने की शक्ति रखता है, और वह प्रस्ताव, मत या कार्यवाही, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में है, जो उसका सम्बन्धी है या वह सम्बन्ध दूर का या निकट का हो, और चाहे उस प्रस्ताव मत या कार्यवाही का उक्त व्यक्ति विशेष पर अनुकूलता प्रभाव पड़ता हो या अन्यथा, वह कोई निर्णय नहीं देगा, बल्कि वह उस मामले को अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रस्तुत कर देगा। और साथ ही उसे प्रस्तुत करने के कारण तथा सम्बन्ध का स्वरूप को भी स्पष्ट कर देगा।

**20. सट्टा लगाना**—(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी लगी हुई पूँजी में सट्टा नहीं लगायेगा।  
**स्पष्टीकरण**—बहुत ही अस्थिर मूल्य वाली प्रतिभूतियों की सतत खरीद या बिक्री के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह इस नियम के अर्थ में लगी हुई पूँजियों में सट्टा लगाता है।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या लगी हुई पूँजी उप-नियम (1) में निर्दिष्ट स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा निर्णय अन्तिम होगा।

**21. विनियोग (लगाई हुई पूँजियों)**—(1) कोई सरकारी कर्मचारी, न तो कोई पूँजी इस प्रकार स्वयं लगायेगा और न अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा, जिससे उसका सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उल्लंघन या प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूत या लगी हुई पूँजी उपनियम (1) के स्वरूप में है अथवा नहीं तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

**उदाहरण**—कोई जिला जज, उस जिले में जिसमें वह नियुक्त है, अपनी पत्नी या अपने पुत्र को, कोई सिनेमा-गृह खोलने, या उसमें कोई हिस्सा खरीदने की अनुमति नहीं देगा और यदि वह ऐसा जिले को स्थानान्तरित कर दिया जाता है जहाँ उसके परिवार के सदस्य पहिले ही ऐसा विनियोग कर चुका है तो, वह अपने वरिष्ठ प्राधिकारी को अविलम्ब सूचित करेगा।

**22. उधार देना और उधार लेना**—(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के, जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर, कोई भूमि या बहुमूल्य सम्पत्ति हो, रुपया उधार नहीं लेगा और न किसी व्यक्ति को ब्याज पर रुपया उधार देगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, किसी सरकारी नौकरी को, अग्रिम रूप में वेतन ले सकता है या, इस बात के होते हुये भी कि ऐसा व्यक्ति (उसका मित्र या सम्बन्धी) उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई भूमि रखता है वह अपने किसी जातीय मित्र या सम्बन्धी को, बिना ब्याज के, एक छोटी रकम वाला ऋण दे सकता है।

(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी बैंक, सहकारी समिति या अच्छी साख वाले फर्म के साथ साधारण व्यापार क्रम के अनुसार न तो किसी व्यक्ति से, अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं के भीतर, रुपया उधार लेगा, और न अन्यथा, अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा जिससे वह उस व्यक्ति को वित्तीय आधार के अन्तर्गत हो जाय, और न वह सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को, इस प्रकार का व्यवहार करने की अनुमति देगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी जातीय मित्र व सम्बन्धी से अपने दो माह के मूल वेतन या उससे कम मूल्य का बिना ब्याज वाला एक नितान्त अस्थायी ऋण स्वीकार कर सकता है या किसी वास्तविक व्यापारी के साथ उधार लेखा चला सकता है।

(3) जब कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार के किसी पद पर नियुक्त या स्थानान्तरण पर भेजा जाय, जिसमें उसके द्वारा उपनियम (1) या उप-नियम (2) के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन निहित हो, तो वह तुरन्त ही समुचित प्राधिकारी को उक्त परिस्थितियों की रिपोर्ट भेज देगा, और उसके बाद ऐसे आदेशों के अनुसार कार्य करेगा जिन्हे समुचित प्राधिकारी दे।

(4) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की दशा में, जो गजटेट अधिकारी है, समुचित प्राधिकारी सरकार होगी और दूसरे मामलों में कार्यालयाध्यक्ष समुचित प्राधिकारी होगा।

**23. दिवाला और अभ्यासी ऋणग्रस्ता**—कोई सरकारी, कर्मचारी अपने व्यक्तिगत मामलों का ऐसा प्रबन्ध करेगा जिससे वह अभ्यासी ऋणग्रस्ता से या दिवाला से बच सके। ऐसे सरकारी कर्मचारी को, जिसके विरुद्ध उसके दिवालिया होने के सम्बन्ध में कोई विधिक कार्यवाही चल रही हो, उसे चाहिये कि वह तुरन्त ही उस कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष को, जिसमें वह नौकरी कर रहा हो, सब बातों की रिपोर्ट भेज दे।

**24. चल-अचल एवं बहुमूल्य सम्पत्ति**—(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के, जबकि समुचित प्राधिकारी को इसकी पूर्ण जानकारी हो, या तो स्वयं अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टा, रेहन, क्रय, विक्रय या भेंट द्वारा या अन्यथा, न तो कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करेगा और न उसे बेचेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यवहार के लिये, जो किसी नियमित और ख्याति प्राप्त व्यापारी से किसी व्यक्ति द्वारा संपादित किया गया हो, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

**उदाहरण**—“क” जो एक सरकारी कर्मचारी है, एक मकान खरीदने का प्रस्ताव करता है। उसे समुचित प्राधिकारी को इस प्रस्ताव की सूचना दे देनी चाहिये। यदि वह व्यवहार, किसी नियमित और



2

## उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956

2

3-कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की प्रतिषेध-

(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्य स्थल पर, उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में संलिप्त नहीं होगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्य स्थल का प्रभारी हो, उस कार्य स्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा।

स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजनों के लिए 'यौन उत्पीड़न' में प्रत्यक्ष या अन्यथा कामवासना से प्रेरित कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित है जैसे कि-

(क) शारीरिक स्पष्टी और कामोदीप्त सम्बन्धी चेष्टाएँ,

(ख) यौन स्वीकृति की मांग या प्रार्थना,

(ग) कामवासना-प्रेरित कृतियाँ,

(घ) किसी कामोत्तेजक कार्य व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन, या

(ङ) यौन सम्बन्धी कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण।

4. सभी लोगों के समान व्यवहार-प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी लोगों के साथ, चाहे वे किसी भी जाति, पंथ या धर्म के क्यों न हों, समान व्यवहार करेगा।

(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा।

24-क. मादक पान तथा औषधि का सेवन-कोई भी सरकारी कर्मचारी-

(क) किसी क्षेत्र में, जहाँ वह तत्समय विद्यमान हो, मादकपान अथवा औषधि सम्बन्धी प्रवृत्त किसी विधि का दृढ़ता से पालन करेगा।

(ख) अपने कर्तव्य पालन के दौरान किसी मादकपान या औषधि के प्रभावधीन नहीं होगा और इस बात का सम्यक् ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का पालन किसी भी प्रकार ऐसे पेय या भेषज के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है।

(ग) सार्वजनिक स्थान में किसी मादकपान अथवा औषधि के सेवन से अपने को विरत रखेगा,

(घ) मादक पान करके किसी सार्वजनिक स्थान में उपस्थित नहीं होगा,

(ङ) किसी भी मादकपान या औषधि का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण: (i)-इस नियम के प्रयोजनार्थ 'सार्वजनिक स्थान' का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या भूगर्हादि जिसके अन्तर्गत कोई सवारी भी है, जहाँ भुगतान करके या अन्य प्रकार से जनता जा सकती हो या उसे आने जाने की अनुज्ञा हो।

स्पष्टीकरण (ii)-कोई गोष्ठी (क्लब)-

(क) जो सरकारी कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की सदस्यों के रूप में प्रवेश देती है, अथवा,

(ख) जिसके सदस्य गैर सदस्यों को उसके अतिथि के रूप में आमन्त्रित करते हैं यद्यपि सदस्यता सरकारी सेवकों तक ही सीमित क्यों न हो,

यह भी स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए ऐसा स्थान माना जायेगा जिसके लिये जनता की पहुँच हो अथवा पहुँच के लिये अनुज्ञा हो।

5. राजनीति तथा चुनाव में हिस्सा लेना-(i) कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का या किसी संस्था का जो राजनीति में हिस्सा लेती है, सदस्य न होगा और न अन्यथा उससे सम्बन्ध रखेगा और न वह किसी ऐसे अन्दोलन में या संस्था में हिस्सा लेगा, उसके सहायतार्थ चन्दा देगा या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करेगा, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित प्रति सरकार के उच्छेदक है या उसके प्रति उच्छेदक कार्यवाहियों करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

उदाहरण-राज्य में "क", "ख", "ग" राजीतिक दल है।

"क" वह दल है जिसके हाथ में सत्ता है और जिसने उस समय की सरकार बनाई है।

"अ" एक सरकारी कर्मचारी है।

इस उपनियम को निषेधाज्ञा 'अ' पर सभी दलों के सम्बन्ध में लागू होंगे, जिसमें "क" दल भी है जिसके हाथ में सत्ता है, सम्मिलित होगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसी अन्दोलन या क्रिया में जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति उच्छेदक है या उसके प्रति उच्छेदक कार्यवाहियों करने की प्रवृत्ति पैदा करती है, हिस्सा लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करने से रोकने का प्रयत्न करे, और उस दशा में जबकि कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार से किसी सदस्य को किसी ऐसे अन्दोलन या क्रिया में हिस्सा लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से मदद करने से रोकने में असफल रहे, तो यह इस आशय की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देगा।

"क" एक सरकारी कर्मचारी है।

"ख" एक परिवार का सदस्य है, जैसे उसकी परिभाषा नियम 2 (ग) में दी गयी है।

"म" वह आन्दोलन या क्रिया है, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति उच्छेदक है या उसके प्रति उच्छेदक कार्यवाहियों करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

"क" को विदित हो जाता है कि इस उपनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, "म" के साथ "ख" का सम्पर्क आपत्तिजनक है। "क" को चाहिये कि वह "ख" के ऐसे आपत्तिजनक सम्पर्क को रोके। यदि "क" "ख" के ऐसे सम्पर्क को रोकने में असफल रहे, तो उसे इस मामले की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देना चाहिये।

(3) [x x x]

"If any question arises whether any movement or activity falls with in the scope of this rule, the decision of the Government thereon shall be final."

(4) कोई सरकारी कर्मचारी, किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव में, न तो मतार्थन करेगा, न अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, और न उसके सम्बन्ध में अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा और न उसमें हिस्सा लेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि-

(i) कोई सरकारी कर्मचारी, जो ऐसे चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है, वोट डालने के अपने अधिकार को प्रयोग में ला सकता है, किन्तु उस दशा में जब कि वह वोट डालने के अधिकार अधिकार का प्रयोग करता है वह इस बात का कोई संकेत न देगा कि उसने किस ढंग से अपना वोट डालने का विचार किया है अथवा किसी ढंग से उसने अपना वोट डाला है।

(ii) केवल इस कारण से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अन्तर्गत उस पर आरोपित किसी कर्तव्य के यथोचित पालन में, कोई सरकारी कर्मचारी किसी चुनाव के संचालन में मदद करता है, उसके सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि उसने इस उप-नियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

3

## उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956

3

देगा या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करेगा, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित प्रति सरकार के उच्छेदक है या उसके प्रति उच्छेदक कार्यवाहियों करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

उदाहरण-राज्य में "क", "ख", "ग" राजीतिक दल है।

"क" वह दल है जिसके हाथ में सत्ता है और जिसने उस समय की सरकार बनाई है।

"अ" एक सरकारी कर्मचारी है।

इस उपनियम को निषेधाज्ञा 'अ' पर सभी दलों के सम्बन्ध में लागू होंगे, जिसमें "क" दल भी है जिसके हाथ में सत्ता है, सम्मिलित होगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसी अन्दोलन या क्रिया में जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति उच्छेदक है या उसके प्रति उच्छेदक कार्यवाहियों करने की प्रवृत्ति पैदा करती है, हिस्सा लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करने से रोकने का प्रयत्न करे, और उस दशा में जबकि कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार से किसी सदस्य को किसी ऐसे अन्दोलन या क्रिया में हिस्सा लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से मदद करने से रोकने में असफल रहे, तो यह इस आशय की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देगा।

उदाहरण-राज्य में "क", "ख", "ग" राजीतिक दल है।

"क" एक सरकारी कर्मचारी है।

"ख" एक परिवार का सदस्य है, जैसे उसकी परिभाषा नियम 2 (ग) में दी गयी है।

"म" वह आन्दोलन या क्रिया है, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति उच्छेदक है या उसके प्रति उच्छेदक कार्यवाहियों करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

"क" को विदित हो जाता है कि इस उपनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, "म" के साथ "ख" का सम्पर्क आपत्तिजनक है। "क" को चाहिये कि वह "ख" के ऐसे आपत्तिजनक सम्पर्क को रोके। यदि "क" "ख" के ऐसे सम्पर्क को रोकने में असफल रहे, तो उसे इस मामले की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देना चाहिये।

(3) [x x x]

"If any question arises whether any movement or activity falls with in the scope of this rule, the decision of the Government thereon shall be final."

(4) कोई सरकारी कर्मचारी, किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव में, न तो मतार्थन करेगा, न अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, और न उसके सम्बन्ध में अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा और न उसमें हिस्सा लेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि-

(i) कोई सरकारी कर्मचारी, जो ऐसे चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है, वोट डालने के अपने अधिकार को प्रयोग में ला सकता है, किन्तु उस दशा में जब कि वह वोट डालने के अधिकार अधिकार का प्रयोग करता है वह इस बात का कोई संकेत न देगा कि उसने किस ढंग से अपना वोट डालने का विचार किया है अथवा किसी ढंग से उसने अपना वोट डाला है।

(ii) केवल इस कारण से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अन्तर्गत उस पर आरोपित किसी कर्तव्य के यथोचित पालन में, कोई सरकारी कर्मचारी किसी चुनाव के संचालन में मदद करता है, उसके सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि उसने इस उप-नियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।



**10-चन्दे**—कोई सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके, किसी ऐसे धर्माथ प्रयोजन के लिये चन्दा या कोई अन्य वित्तीय सहायता माँग सकता है या स्वीकार कर सकता है या उसे इकट्ठा करने में भाग ले सकता है, जिसका सम्बन्ध डाक्टरी सहायता शिक्षा या सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य उद्देश्यों से हो, किन्तु उसे इस बात की अनुमति नहीं है कि वह इनके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये चन्दा आदि माँगे।

**11-भेंट**—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो—

(क) स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट सम्बन्धी न हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई भेंट, अनुग्रह धन पुरस्कार स्वीकार नहीं होगा।

(ख) अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को, उस पर आश्रित हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट सम्बन्धी न हो, कोई भेंट, अनुग्रह धन या पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह किसी जातीय मित्र से, सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन का दसांश या उससे कम मूल्य का एक विवाहोहार या किसी रीतिक अवसर पर इतने ही मूल्य का एक उपहार स्वीकार कर सकता है या अपने परिवार के किसी सदस्य को उसे स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है। किन्तु सभी सरकारी कर्मचारियों को चाहिये कि वे इस प्रकार के उपहारों को दिये जाने को भी रोकना का भरसक प्रयत्न करें।

#### उदाहरण

एक कस्बे के नागरिक यह निश्चय करते हैं 'क' को, जो एक सब डिबीजन अफसर है, बाट के दौरान उसके द्वारा की गयी सेवाओं के सराहना स्वरूप एक घड़ी भेंट में दी जाय, जिसका मूल्य उसका मूल वेतन के दसांश से अधिक है। सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना 'क' उक्त उपहार स्वीकार नहीं कर सकता है।

#### 11.क-कोई सरकारी कर्मचारी—

(i) न तो दहेज देगा या प्राप्त करेगा या दहेज लेन देन को प्रेरित करेगा, अथवा

(ii) बधू या वर जैसी भी दशा हो के माता-पिता अथवा अभिभावक से प्रत्यक्षतः या परोक्षतः कोई दहेज की माँग नहीं करेगा।

**स्पष्टीकरण**—इस नियम के प्रयोजनों के लिये दहेज शब्द का अर्थ है जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में दिया गया है।

#### 12-चिकित्सा अधिकारियों द्वारा भेंट इत्यादि का लिया जाना—(निरस्त)

#### 13-रीतिका समारोहों में कर्णिकी इत्यादि का उपहार स्वरूप किया जाना—(निरस्त)

**14-सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन**—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, कोई मान-पत्र या विदाई-पत्र नहीं लेगा, न कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार करेगा और न अपने सम्मान में या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में अयोजित किसी सभा या सार्वजनिक आमोद में उपस्थित होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम में दी हुई कोई बात, किसी ऐसे विदाई समारोह के सम्बन्ध में लागू न होगी जो सारतः निजी तथा अरीतिका स्वरूप का हो और जो किसी सरकारी कर्मचारी के सम्मान में उसके अवकाश प्राप्त करने या बदली के अवसर पर आयोजित हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में अयोजित हो जिसने हाल ही में सरकार की सेवा छोड़ी हो।

1- संख्या-957/कार्मिक-1/1998 लखनऊ दिनांक 17 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशोधित।

2- अधिसं०-9/7/78-कार्मिक-1 दिनांक 20 नवम्बर, 1980 निरस्त किया गया।

#### उदाहरण

'क' जो एक डिप्टी कलेक्टर है, रिटायर होने वाला है। 'ख' जो जिले में एक दूसरा डिप्टी कलेक्टर है, 'क' के सम्मान में एक ऐसा भोज दे सकता है जिसमें चुने हुये व्यक्ति आमन्त्रित किये गये हों।

**15. असरकारी व्यापार या नौकरी**—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या कारोबार में नहीं जायेगा और न ही कोई नौकरी करेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है, कि कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई सामाजिक या धर्माथ प्रकार को अवैतनिक कार्य या कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का साकारिक कार्य कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य के द्वारा उसके सरकारी कर्तव्यों में कोई अड़भन नहीं पड़ता है तथा वह ऐसे कार्य हाथ में लेने से एक महीने के भीतर ही, अपने विभागाध्यक्ष और यदि वह स्वयं विभागाध्यक्ष हो, तो सरकार को इस बात की सूचना दे दे, किन्तु यदि सरकार उसे इस प्रकार का कोई आदेश दे तो वह ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा, और यदि उसने हाथ में ले लिया है, तो बन्ध कर देगा।

किन्तु अप्रतिबन्ध यह है किन्तु सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा असरकारी व्यापार या असरकारी नौकरी हाथ में लेने की दशा में ऐसे व्यापार या नौकरी की सूचना सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार को दी जायेगी।

**16 (क) चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध**—कोई सरकारी कर्मचारी चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी परिसंकटमय कार्य में न तो नियोजित करेगा, न लगाएगा या ऐसे बच्चे से बेगार या इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम नहीं लेगा।

**16. कम्पनियों का निबन्धन, प्रवर्तन तथा प्रबन्ध**—कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के, जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे बैंक या अन्य कम्पनी के निबन्धन प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग लेगा, जो इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध हुआ है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरकारी कर्मचारी को को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1965 (यू० पी० ऐक्ट सं० 11, सन् 1966) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन किसी सहकारी समिति या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (ऐक्ट सं० 21, 1860) या किसी तत्स्थानीय प्रवृत्त विधि के अधीन निबद्ध किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्माथ समिति के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है।

अप्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी सहकारी समिति के प्रतिनिधि के रूप में किसी बड़ी सहकारी समिति या निकाय में उपस्थित हो तो वह उस बड़ी सहकारी समिति या निकाय के किसी पद के निर्वाचन की इच्छा न करेगा। वह ऐसे निर्वाचनों में केवल अपना मत देने के लिये भाग ले सकता है।

**17. बीमा कारोबार**—कोई सरकारी कर्मचारी, अपनी पत्नी को या अपने किसी अन्य सम्बन्धी को जो या तो उस पर पूर्णतः आश्रित हो या उसके साथ निवास करता हो उसी जिले में, जिसमें वह तैनात हो, बीमा अधिकता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देगा।

**18. अवयवकों का संरक्षकत्व**—कोई सरकारी कर्मचारी, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना, उसी पर आश्रित किसी अवयवस्क के अतिरिक्त, किसी अन्य अवयवस्क के शरीर या सम्पत्ति के विधिक संरक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा।

1- संख्या-957/कार्मिक-1/1998 लखनऊ दिनांक 17 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशोधित।

2- संख्या-13/5/98-कार्मिक-1/2002 लखनऊ दिनांक 9 अगस्त, 2002 द्वारा बढ़ाया गया।

3- संख्या-9-7-78-कार्मिक-1 दिनांक 20 नवम्बर, 1980 द्वारा संशोधित।